



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2005/चैत्र 1, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2005/CHAITRA 1, 1927

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2005

सं. भा.आ.प.-18(1)/2004-मेड./33323.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलने और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाने संबंधी विनियमावली, 2000 में पुनः संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

क) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलने और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाने संबंधी (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहा जाएगा।

ख) वे, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलने और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश-क्षमता बढ़ाने संबंधी विनियमावली, 2000 में परिशिष्ट-II के पश्चात्, उसके नीचे दी

गई मौजूदा "अनुसूची" और "टिप्पणी" निम्नालिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगी,
अर्थात:-

"अनुसूची

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम खोलने या उनके संबंध में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति और केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा इस पर कार्रवाई करने के लिए समय अनुसूची

क्र. सं.	कार्रवाई का चरण	समय अनुसूची
1.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति	1 मई से 30 जून
2.	तकनीकी संवीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पत्र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अग्रेषित करना	31 जुलाई तक
3.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशों, जो केवल आशय पत्र प्रदान करने के लिए हैं, अग्रेषित करना	15 सितंबर तक
4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आशय पत्र जारी करना	15 अक्टूबर तक
5.	आवेदक संस्थान द्वारा अनुमति पत्र के लिए अनुरोध से संबंधित अपना उत्तर केन्द्रीय सरकार को भेजना	15 नवंबर तक
6.	अनुमति पत्र जारी करने के लिए विचार करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार से पत्र की प्राप्ति	30 नवंबर तक

7. अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना 1 जनवरी से 28/29 फरवरी तक
8. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना 31 मार्च तक

टिप्पणी: 1. सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के संबंध में चूंकि शैक्षिक सत्र का आरंभ 1 अगस्त से होता है, इसलिए कार्रवाई के विभिन्न चरणों के सामने ऊपर दर्शायी गई अंतिम तारीखें साढ़े तीन महीने आगे बढ़ाई जा सकेगी और तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करने के अंतिम तारीख 15 जुलाई होगी।

टिप्पणी: 2. स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री की सीटें और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सीटें, जिनकी अनुमति सरकार द्वारा किसी वर्ष विशेष के लिए क्रमशः 31 मार्च और 15 जुलाई तक प्रदान की जाती है, उस वर्ष में आरंभ होने वाले शैक्षिक सत्र के संबंध में विद्यार्थियों के दाखले के लिए सीट मैट्रिक्स में ही शामिल होंगी।

टिप्पणी: 3. किसी वर्ष विशेष में मई-जून के महीनों में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर, आगामी वर्ष में आरंभ होने वाले शैक्षिक सत्र के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए, विचार किया जाएगा”

लेफ्ट. कर्नल (डॉ.) ए. आर. एन. सेतलवाड (रिटायर्ड), सचिव

[विज्ञापन-III/IV/100/04-असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली अर्थात् “अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलने और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाने संबंधी विनियमावली, 2000” दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2005

No. MCI-18(1)/2004-Med./33323.— In exercise of the powers, conferred by Section 10A, read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of

India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the Opening of New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- (a) These Regulations may be called "The Opening of New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) (Amendment) Regulations, 2005
- (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post-graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000, after Appendix -II, for the existing 'Schedule' and the 'Note' appearing thereunder, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

SCHEDULE FOR RECEIPT OF THE APPLICATIONS FOR OPENING OR TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN RESPECT OF POSTGRADUATE MEDICAL COURSES AND ITS PROCESSING BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND MEDICAL COUNCIL OF INDIA.

<u>S.No.</u>	<u>Stage of processing</u>	<u>Time Schedule</u>
1	Receipt of applications by the Central Government	1 st May to 30 th June
2	Forwarding of applications by the Central Govt. to MCI for technical scrutiny	up to 31 st July
3	Forwarding of recommendations of MCI which are for grant of only Letter of Intent	Up to 15 th September
4	Issue of Letter of Intent by Central Govt.	Up to 15 th October
5	Applicant institution to send its reply to Central Govt. requesting for Letter of Permission	Up to 15 th November

6	Receipt of Letter from Central Govt. by the MCI for consideration for issue of Letter of Permission	Up to 30 th November
7	Recommendation of MCI to Central Govt. for issue of Letter of Permission	1 st January to 28/29 th February
8	Issue of Letter of Permission by Central Govt.	Up to 31 st March

Note-1: In respect of Super-specialty courses as the commencement of academic session is from 1st of August, the last dates indicated against the various stages of processing above shall be extendable by three and a half months and accordingly the last date for issue of Letter of Permission by the Central Govt. shall be 15th July.

Note-2: The postgraduate diploma/degree seats and the Super-specialty seats for which permission is granted by the Government respectively up to 31st March and 15th July of any particular year shall only stand included in the seat matrix for admission of students in respect of the academic session commencing in that year.

Note-3: The applications received in the months of May-June in any particular year shall be considered for grant of permission for the academic session commencing in the succeeding year."

Lt. Col. (Dr.) A. R. N. SATALVAT (Retd.), Secy.

[ADVT.-III/IV/100/04-Exty.]

Foot note : The Principal regulations, namely, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Postgraduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000" was published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000.